निष्पक्ष श्रम संहिता

निष्पक्ष श्रम संघ (FLA) का फेयर लेबर कोड फैक्ट्रियों और खेतों में काम करने वालों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए मानक तय करता है। यह फेयर लेबर कोड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों पर आधारित है। FLA की सदस्य कंपनियाँ अपने वैश्विक सप्लाई चेन में इन कार्यस्थल मानकों का पालन करने पर सहमत हैं, ताकि श्रमिकों की सुरक्षा की जा सके और फैक्ट्रियों तथा खेतों को काम करने के लिए बेहतर जगह बनाया जा सके।

Fair Labor

कोड तत्व	मानक
रोज़गार संबंध	नियोक्ताओं को रोज़गार के ऐसे नियमों और शर्तों को अपनाना और उनका पालन करना चाहिए, जो श्रमिकों का सम्मान करें और कम से कम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों और विनियमों के तहत उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें।
भेदभाव-रहित	किसी भी व्यक्ति के साथ रोजगार में, जिसमें भर्ती, वेतन, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा समाप्ति या रिटायरमेंट शामिल हैं, लिंग, जाति, धर्म, उम्र, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार, सामाजिक समूह या जातीय मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
उत्पीड़न या दुर्व्यवहार	प्रत्येक कर्मचारी के साथ सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या मौखिक उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा।
जबरन श्रम	किसी भी प्रकार के ज़बरदस्ती के श्रम का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें जेल का श्रम, अनुबंधित श्रम, बंधुआ मजदूरी या अन्य प्रकार का जबरन श्रम शामिल है।
बाल श्रम	किसी भी व्यक्ति को 15 वर्ष से कम आयु में या अनिवार्य शिक्षा पूरी करने की निर्धारित आयु से कम आयु में रोजगार नहीं दिया जाएगा, जो भी अधिक हो।
संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी	नियोक्ता कर्मचारियों के संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को मान्यता देंगे और उसका सम्मान करेंगे।
स्वास्थ्य, सुरक्षा, और पर्यावरण	नियोक्ताओं को एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करना चाहिए, ताकि कार्य के दौरान या कार्य से जुड़े, अथवा नियोक्ता की सुविधाओं के संचालन के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी हानि को रोका जा सके। नियोक्ताओं को ऐसे जिम्मेदार उपाय अपनाने चाहिए, जिससे कार्यस्थल का पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
काम के घंटे	नियोक्ता, कर्मचारियों से उस देश के कानून के तहत तय सामान्य और ओवरटाइम घंटों से अधिक काम नहीं करवाएंगे, जहां वे काम करते हैं। नियमित कार्य सप्ताह 48 घंटे से अधिक नहीं होगा। नियोक्ताओं को हर सात-दिन की अवधि में कर्मचारियों को कम से कम 24 घंटे लगातार आराम करने की इज़ाजत देनी होगी। सभी ओवरटाइम कार्य कर्मचारी की स्वैच्छिक सहमति से किया जाएगा। नियोक्ता नियमित रूप से ओवरटाइम का अनुरोध नहीं करेंगे, और सभी ओवरटाइम कार्य के लिए प्रीमियम दर पर भुगतान करेंगे। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, एक सप्ताह में नियमित और ओवरटाइम घंटों की कुल योग 60 घंटे से अधिक नहीं होगा।
पारिश्रमिक	हर कामगार को एक नियमित कार्य-सप्ताह के लिए ऐसे मुआवज़े का अधिकार है, जो उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और कुछ अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त हो। नियोक्ताओं को न्यूनतम वेतन या प्रचलित उचित वेतन, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा, वेतन पर सभी कानूनी नियमों का पालन करना होगा, और कानून या अनुबंध के अनुसार सभी ज़रूरी सुविधाएं भी देनी होंगी। जहां वेतन कामगारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करता और उन्हें कुछ अपनी मर्जी से खर्च करने लायक आय नहीं देता, वहां हर नियोक्ता FLA के साथ मिलकर उचित कदम उठाएगा, ताकि धीरे-धीरे मुआवज़े का ऐसा स्तर हासिल किया जा सके, जो इन जरूरतों को पूरा करता हो।